गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 161वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 28.08.2023 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 161वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 28.08.2023 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :–

1.	श्रीमती सेल्वा कुमारी जे0, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/ अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद		अध्यक्ष
2.	श्री राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी गाजियाबाद/उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद		उपाध्यक्ष
3.	श्री नितिन कुमार गौड, नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद		सदस्य
4.	जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के प्रतिनिधि श्री बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी (एल/ए), गौतमबुद्धनगर		सदस्य
5.	जिलाधिकारी, हापुड के प्रतिनिधि श्री संदीप कुमार, अपर जिलाधिकारी (एफ/आर), हापुड		सदस्य
6.	प्रबन्धक निदेशक, जल निगम लखनऊ के प्रतिनिधि श्री मोहित वर्मा अधिशासी अभियन्ता मेरठ		सदस्य
7.	श्री अतुल कुमार सिंह, अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन मेरठ मण्डल, मेरठ		सदस्य
8.	श्री सतीश चन्द्र गौड, चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर एन0सी0आर सेल, गाजियाबाद।		सदस्य
9.	श्री कृष्ण मोहन, सहयुक्त नियोजक एन0सी0आर0 सेल प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ एवं चीफ कोर्डिनेटर, एन0सी0आर0 प्लानिंग सेल		सदस्य
10.	श्री प्रदीप कुमार सत्यार्थी, प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम		सदस्य
11.	श्री राकेश चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, आवास विकास परिषद, वसुन्धरा।		सदस्य
12.	श्री पवन गोयल		गैर सरकारी सदस्य
13.	श्री केशव त्यागी		गैर सरकारी सदस्य

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदया एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्व–सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद सं0		विषय	निर्णय
161/1 प्रशासन		प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23.11.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	मा0 बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
161/2 प्रशासन		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 160वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 23.11.2022 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	मा0 बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अनुमोदित की गयी।
161/3 नियोजन		गाजियाबाद, लोनी एवं मोदीनगर महायोजना–2031 प्रारूप पर जन–सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझावों के निस्तारण उपरान्त उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–11 के प्राविधानों के अनुसार महायोजनाओं को अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा महायोजना–2031 प्रारूप पर विचार–विमर्श किया गया। कन्सलटेन्ट द्वारा समय से कार्य पूर्ण न किये के सम्बन्ध मे नाराजगी व्यक्त की गई साथ ही कन्सलटेन्ट को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही निर्णय लिया गया कि एन.सी.आर.टी.सी., नई दिल्ली के साथ टी.ओ.डी. जोन्स (इन्फलूएन्स जोन एवं एस.डी.ए. क्षेत्र) के चिन्हीकरण एवं भू–उपयोग निर्धारण के सम्बन्ध मे विचार–विमर्श कर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए महायोजना के अनुमोदन हेतु आगामी बोर्ड बैठक मे प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
161/4 नियोजन		शासन के पत्र संख्या–1198/आठ–3–23–198 विविध/2014 दिनांक 25.05.2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में टी.ओ.डी. जोन्स के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श में श्री एस.सी. गौड, सी.सी.पी., एन.सी.आर सैल, गाजियाबाद द्वारा सुझाव दिया गया कि एन.सी.आर.टी.सी., नई दिल्ली से ही जोनल प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध मे संस्था की पूर्व शर्तो/प्रतिबन्धो के अनुसार ही कार्य करना होगा। किसी नये अनुबन्ध की आवश्यकता नही होगी। तदानुसार टी.ओ. डी. जोन्स के जोनल प्लान का कार्य एन. सी.आर.टी.सी., नई दिल्ली से ही कराये जाने का निर्णय लिया गया।

161/5 नियोजन		मुख्य सचिव, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 18.11.2022 के अनुपालन में राजनगर आवासीय योजना के अन्तर्गत जल निगम को आवंटित ग्रीन बैल्ट की भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत प्रकरण पर प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। सुझाव दिया गया कि स्थल का पुनः परीक्षण कराने के साथ–साथ इस आशय का भी परीक्षण कराया जाए कि भू–उपयोग परिवर्तन सम्पूर्ण क्षेत्र का किया जाना है अथवा स्थल मे विद्यमान निर्मित क्षेत्रो का ही किया जाना है। तदानुसार प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक मे प्रस्तुत किया जाए।
161/6 नियोजन		गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावी महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रिया अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि विभिन्न विभागो सें प्राप्त अनापत्तियों, शर्तो/प्रतिबन्धो का पूर्ण पालन किया जाना होगा।
161/7 नियोजन		खन्ना नगर कॉलोनी के तलपट मानचित्र में सृजित सिनेमा भूखण्ड के उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध मे निर्देशित किया गया कि पूर्व बोर्ड बैठको मे प्रकरण को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध मे विस्तृत आख्या तैयार कराते हुए सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक मे प्रस्तुत किया जाए।
161/8 नियोजन		आदित्य वर्ल्ड सिटी, इन्टीग्रेटिड टाउनशिप के स्वीकृत/सम्पूर्ति तलपट के मानचित्र के भूखण्ड संख्या–जी.एच.–05, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की क्रिया परिवर्तित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
161/9 नियोजन		मैसर्स उप्पल चडढ़ा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा एन.एच.–24 पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप (वेवसिटी) के संशोधित डी0पी0आर0 (4196.30 एकड) एवं ले–आउट प्लान (3786.79 एकड) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति के पश्चात दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के कारण डी0पी0आर0 समिति द्वारा वर्तमान में वास्तविक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुनः डी0पी0आर0 का परीक्षण कर लिया जाय तथा डी0पी0आर0 के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राधिकरण के नियोजन एवं संबंधित अनुभाग के अधिकारियों के साथ–साथ डी0पी0आर0 समिति के सदस्यों द्वारा भी

			हस्ताक्षर किये जाय। यदि शासन को कोई सन्दर्भ प्रेषित किया जाना है तो प्रेषित किया जाय। ले–आउट का भी प्लानिंग अनुभाग एवं सम्बन्धित अधिकारियों के साथ–साथ उपाध्यक्ष द्वारा भी गहन परीक्षण कर लिया जाय तथा इस आशय की टिप्पणी बोर्ड के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत ले–आउट पर अंकित की जाय, साथ ही स्वामित्व (Ownership) की अद्यतन स्थिति का परीक्षण करा लिया जाय। तदोपरान्त अद्यतन देयता का आगणन तैयार कर डी0पी0आर0 एवं ले–आउट का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय। महायोजना–2021 में हाईटेक सिटी/नगरीय विस्तार क्षेत्र को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाये गये भू–उपयोग के सम्बन्ध में सी0ए0जी0 द्वारा अपने ऑडिट में पोस्ट एम0ओ0यू0 बेनिफिट के रूप में रूपये 401.30 करोड़ मै0 उप्पल चडढ़ा हाईटेक डेवलपर्स प्रा0लि0 को फाईनेन्सियल इरेगुलिरिटी माना गया है, जिस पर अन्तिम निर्णय शासन द्वारा लिया जाना है। आगामी बोर्ड बैठक में डी0पी0आर0 एवं ले–आउट स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्तुत किये जाने पर सी0ए0जी0 द्वारा अपने ऑडिट में फाईनेन्सियल इरेगुलिरिटी माने गये अद्यतन धनराशि की बैंक गारन्टी विकासकर्ता मै0 उप्पल चडढ़ा हाईटेक डेवलपर्स प्रा0लि0 से लिये जाने की शर्त पर डी0पी0आर0 एवं ले–आउट की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। विकासकर्ता से बैंक गारन्टी लिये जाने से इतर कोई निर्णय शासन स्तर से लिया जा सकता है।
161/10 नियोजन		मैसर्स सनसिटी हाईटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0 द्वारा एन.एच.–24 पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप के संशोधित डी0पी0आर0 (827.99 एकड) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति के पश्चात दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के

			कारण डी0पी0आर0 समिति द्वारा वर्तमान में वास्तविक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुनः डी0पी0आर0 का परीक्षण कर लिया जाय तथा डी0पी0आर0 के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राधिकरण के नियोजन एवं संबंधित अनुभाग के अधिकारियों के साथ–साथ डी0पी0आर0 समिति के सदस्यों द्वारा भी हस्ताक्षर किये जाय। यदि शासन को कोई सन्दर्भ प्रेषित किया जाना है तो प्रेषित किया जाय। स्वामित्व (Ownership) की अद्यतन स्थिति का परीक्षण करा लिया जाय। तदोपरान्त अद्यतन देयता का आगणन तैयार कर डी0पी0आर0 का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय। महायोजना–2021 में हाईटेक सिटी/नगरीय विस्तार क्षेत्र को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाये गये भू–उपयोग के सम्बन्ध में सी0ए0जी0 द्वारा अपने ऑडिट में पोस्ट एम0ओ0यू0 बेनिफिट के रूप में रूपये 171.18 करोड़ मै0 सनसिटी हाईटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0 को फाईनेन्सियल इरेगुलिरिटी माना गया है, जिस पर अन्तिम निर्णय शासन द्वारा लिया जाना है। आगामी बोर्ड बैठक में डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्तुत किये जाने पर सी0ए0जी0 द्वारा अपने ऑडिट में फाईनेन्सियल इरेगुलिरिटी माने गये अद्यतन धनराशि की बैंक गारन्टी विकासकर्ता मै0 सनसिटी हाईटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0 से लिये जाने की शर्त पर डी0पी0आर0 की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। विकासकर्ता से बैंक गारन्टी लिये जाने से इतर कोई निर्णय शासन स्तर से लिया जा सकता है।

RKhat

161 / 11 नियोजन	राजेन्द्रनगर योजना के अन्तर्गत सैक्टर–03 में गैस गोदाम हेतु आरक्षित भूखण्ड का गैस गोदाम से व्यवसायिक निर्माण के लिए क्रिया परिवर्तन के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया व साथ निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक मे प्रस्तुत किया जाए।
161 / 12 मुख्य अभियन्ता	राजेन्द्रनगर योजना के सैक्टर 02 में निर्मित ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के सीलिंग मूल्य एवं अन्तिम मूल्यॉकन के अनुसार बढी हुई लागत के अन्तर के समायोजन के सम्बन्ध मे।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि कॉस्टिंग के सम्बन्ध में अन्य योजनाओं पर क्या अधिभारित होगा, का पुनः परीक्षण करते हुए प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाय।
161 / 13 मुख्य अभियन्ता	प्रताप विहार सेक्टर–11 के एच–ब्लॉक में निर्मित ई0डब्ल्यू0एस भवनों के सीलिंग मूल्य एवं अन्तिम मूल्यॉकन के अन्तर की लागत के समायोजन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि कॉस्टिंग के सम्बन्ध में अन्य योजनाओं पर क्या अधिभारित होगा, का पुनः परीक्षण करते हुए प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाय।
161 / 14 मुख्य अभियन्ता	शासन द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत इन्द्रप्रस्थ, कोयल एन्क्लेव एवं मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना में निर्मित भवनों में से अविक्रीत भवनों के मूल्यॉकन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि इन बिन्दुओं का भी परीक्षण कर लिया जाय कि क्या प्रस्ताव बोर्ड बैठक में लाया जाना आवश्यक है तद्नुसार सम्पूर्ण परीक्षण के उपरान्त यदि आवश्यक हो तो प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाय।
161 / 15 मुख्य अभियन्ता	जनपद गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 ई के कि0मी0 17 पर स्थित हिण्डन नदी पर पुराने ब्रिज को तोडकर उसी स्थान पर नये सेतु का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
161 / 16 मुख्य अभियन्ता	गाजियाबाद में इलैक्ट्रानिक सिटी (नोएडा सेक्टर–62) से साहिबाबाद तक मैट्रो सेवा विस्तारित कराये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन से विस्तृत जस्टीफिकेशन प्राप्त कर पुनः परीक्षण करते हुए प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाय।
161 / 17 सम्पत्ति	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के अलोकप्रिय घोषित रिक्त भवनों को "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर वित्तीय वर्ष–2023–2024 हेतु दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक परिचालन के माध्यम से स्वीकृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त परिचालन के माध्यम से स्वीकृत प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

161/18 सम्पत्ति	प्राधिकरण के भूखण्डों को अलोकप्रिय न घोषित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये निर्देश को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
161/19 सम्पत्ति	मा0 विधायक श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी का प्रतिकर से बढ़ी हुई धनराशि पर विलम्ब ब्याज नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।
161/20 भू–अर्जन	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के भू–अर्जन अनुभाग में 02 लेखपाल एवं 02 अमीन प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
161/21 भू–अर्जन	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित 45.00 मी0 चौडी सड़क मार्ग के संरेखण में आने वाली ग्राम मकरमतपुर सिकरोड की लगभग 3.4418 है0 भूमि को दर निर्धारण समिति की आख्या के क्रम में रू0 7500/– प्रति वर्ग मी0 की दर से भूमि क्रय की कार्यवाही बोर्ड के अवलोकनार्थ।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि पुनः परीक्षण करते हुए यदि आवश्यक हो तो प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाय।
161/22 प्रशासन	श्रीमती गुंजा सिंह, विशेष कार्याधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के ईलाज में हुए व्यय की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
161/23 प्रशासन	श्री ब्रहम सिंह भाटी, कनिष्ठ लिपिक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के ईलाज में हुए व्यय की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
161/24 प्रशासन	श्री राजेन्द्र कुमार त्यागी, सेवानिवृत्त विधि अधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में सेवानिवृत्त उपरान्त पेंशन व उपादान भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
161/25 सुरक्षा	गाजियाबाद विकसा प्राधिकरण, गाजियाबाद में प्रवर्तन कार्य/अतिक्रमण व्यवस्था एवं प्राधिकरण सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु 20 होमगार्डस की दिनांक 01.01.2023 से 31.05.2023 तक कार्योत्तर एवं दिनांक 31.12.2023 तक आगामी स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

161 / 26 स्वागत कक्ष		मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना के किसानों हेतु ई–ब्लॉक एवं एफ–ब्लॉक में संचालित सामुदायिक केन्द्रों का पूर्व में निर्धारित किराया पुनः अग्रिम तीन वर्षो (दिनांक 02.06.2026) तक यथावत् रखने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मधुबन–बापूधाम योजना के किसानों हेतु फिलहाल 03 वर्ष के स्थान पर 01 वर्ष हेतु छूट प्रदान की जाय साथ ही तदोपरान्त प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर लिया जाय।
161 / 27 लेखानुभाग		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष–2022–2023 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष–2023–2024 का अनुमानित आय–व्ययक परिचालन के माध्यम से स्वीकृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त परिचालन के माध्यम से स्वीकृत प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
161 / 28 नियोजन		गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावी महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाऐं अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि विभिन्न विभागो सें प्राप्त अनापत्तियों, शर्तो / प्रतिबन्धो का पूर्ण पालन किया जाना होगा।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(राकेश कुमार सिंह)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

(सेल्वा कुमारी जे0)
अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ